



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

No/5646

संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

7-6-2023

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला-दुर्ग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिले की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/जिला स्वास्थ्य समिति जिला दुर्ग छ.ग.के अंतर्गत निम्न संविदा पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 07.06.2023 से 21.06.2023 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक दुर्ग जिले की विभागीय वेबसाइट **durg.gov.in** पर ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। किसी अन्य माध्यम से अथवा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

जिला स्तरीय पद व आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -
तालिका 'अ'

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पदों की जानकारी										
पद स. कमांक	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मासिक मानदेय प्रतिमाह (रु.में)	कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग
1	नर्सिंग ऑफिसर	एन.एच.एम	16500.00	11	अनारक्षित	5	1	2 (OL)Backlog	0	8
					अ.पि.व.	1	0	0	0	1
					अ.जा.	1	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	1	0	0	0	1
2	प्रोग्राम असोसियेट -पी.एच.एन.	एन.एच.एम	30000.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
3	लेबोरेटरी टेक्नीशियन	एन.एच.एम	14000.00	4 (Backlog)	अनारक्षित	1	0	1(OL,HH)	0	2
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	2	0	0	0	2
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
4	सपोर्ट स्टॉफ (हॉउस कीपिंग सपोर्ट स्टॉफ)	एन.एच.एम	8800.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
5	जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट	एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.एच.एम	12000.00	4 (Backlog)	अनारक्षित	1	1	2(OL,HH,OA,OAL,BL)	0	4
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
6	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	एन.एम.एच.पी.	31500.00	3	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	1	0	0	0	1
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL)	0	1
7	साइकोलॉजिस्ट - क्लीनिकल	एन.एम.एच.पी.	31500.00	1	अनारक्षित	0	0	0	0	0
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL)	0	1

Asish Rao

19

7/6/23



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मासिक मानदेय प्रतिमाह (रु.में)	कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग	
8	सोशल वर्कर- एन.एम.एच.पी.	एन.एम.एच.पी.	22000.00	1	अनारक्षित	0	0	0	0	0
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL,OA,LV)	0	1
9	सेक्रेट्रियल असिस्टेंट-एन.एम.एच.पी.	एन.एम.एच.पी.	13650.00	2	अनारक्षित	0	0	0	0	0
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	2(Backlog)	0	0	0	2
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
10	अटेंडेंट - वार्ड असिस्टेंट	एन.एम.एच.पी.	8800.00	4	अनारक्षित	0	1	0	0	1
					अ.पि.व.	1	0	0	0	1
					अ.जा.	1	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL,OA,LV)Backlog	0	1
11	डेंटल असिस्टेंट	एन.ओ.एच.पी.	12000.00	2	अनारक्षित	0	0	0	0	0
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	1(Backlog)	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL,OA,LV)(Backlog)	0	1
12	फार्मासिस्ट	आर.बी.एस.के.	16500.00	1	अनारक्षित	1(Backlog)	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
13	टी.बी.एच.व्ही.	एन.टी.ई.पी.	14000.00	2	अनारक्षित	1	0	1(OL,OA)	0	2
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
14	एस.टी.एस.	एन.टी.ई.पी.	17500.00	2	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	1	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
15	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संगवारी 1	एच.डब्ल्यू.सी.	13500.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
16	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संगवारी 2	एच.डब्ल्यू.सी.	13500.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
17	पियर सपोर्टर	एन.वी.एच.सी.पी.	10000.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0

Asingh Raw 88

Law

AV

76K3



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मासिक मानदेय प्रतिमाह (रु. में)	कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू. पू. सै.	योग	
18	ए.एन.एम.	एन.यू.एच.एम.	12000.00	5	अनारक्षित	—	3	0	0	3
					अ.पि.व.	—	0	0	0	0
					अ.जा.	—	1	0	0	1
					अ.ज.जा.	—	1(Backlog)	0	0	1
19	लेबोरेटरी टेक्नीशियन	एन.यू.एच.एम.	14000.00	1	अनारक्षित	0	0	1(OL,HH)(Backlog)	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
20	फार्मासिस्ट	एन.यू.एच.एम.	16500.00	1	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
21	नर्सिंग ऑफिसर	एन.यू.एच.एम.	16500.00	4	अनारक्षित	2(Backlog)	0	0	0	2
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	2(Backlog)	0	0	0	2
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
22	सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	एन.यू.एच.एम.	13650.00	2	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	1	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
23	फिजियोथेरेपिस्ट	एन.यू.एच.एम.	18000.00	2	अनारक्षित	1	0	0	0	1
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	1	0	0	0	1
					अ.ज.जा.	0	0	0	0	0
24	सिटी एकारटेन्ट	एन.यू.एच.एम.	16000.00	1	अनारक्षित	0	0	0	0	0
					अ.पि.व.	0	0	0	0	0
					अ.जा.	0	0	0	0	0
					अ.ज.जा.	0	0	1(OL,HH,OA,OAL,BL)	0	1
25	नर्सिंग ऑफिसर	पन्द्रहवां वित्त आयोग	16500.00	38	अनारक्षित	13	8	2(OL)	2	25
					अ.पि.व.	5	1	0	0	6
					अ.जा.	3	2	0	0	5
					अ.ज.जा.	1	0	1(OL)	0	2
26	एम.पी.डब्ल्यू	पन्द्रहवां वित्त आयोग	14000.00	38	अनारक्षित	21	—	2(OL,OA)	2	25
					अ.पि.व.	6	—	0	0	6
					अ.जा.	5	—	0	0	5
					अ.ज.जा.	1	—	1(OL,OA)	0	2
27	जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	पन्द्रहवां वित्त आयोग	12000.00	47	अनारक्षित	15	9	2(OL,HH,OA,OAL,BL)	2	28
					अ.पि.व.	6(Backlog)	2	0	0	8
					अ.जा.	6(Backlog)	1	0	0	7
					अ.ज.जा.	1(Backlog)	1	2(OL,HH,OA,OAL,BL)	0	4
28	क्लास 4	पन्द्रहवां वित्त आयोग	10000.00	38	अनारक्षित	11	8	2(OL,OA,LV)	4	25
					अ.पि.व.	5	1	0	0	6
					अ.जा.	3	2	0	0	5
					अ.ज.जा.	1	0	1(OL,OA,LV)	0	2

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र दुर्ग जिले की विभागीय वेबसाइट durg.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाईन एवं निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा।

Asingh Rao

Coast

OS

7/6/23



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार शैक्षणिक अर्हतायें योग्यता निम्नानुसार हैं

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1 नर्सिंग ऑफिसर	एन.एच.एम	1 बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेथिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित, स्थायी पंजीयन 2 जी.एन.एम. कोर्स पास के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन (अंतिम प्राथमिक सूची प्राथमिकता कम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
2 प्रोग्राम असोसियेट -पी.एच.एन.	एन.एच.एम	1. एम.एस.सी. नर्सिंग (नियमित) + 01 वर्ष का अनुभव (कम्प्यूटरी हेल्थ अम्यर्थी को प्राथमिकता) + छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन अथवा 2. बी.एस.सी.नर्सिंग (नियमित) + 03 वर्ष का अनुभव + छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन
3 लेबोरेटरी टेक्नीशियन	एन.एच.एम	1 बी.एम.एल.टी.कोर्स के साथ छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन 2 डी.एम.एल.टी. अथवा पैथालॉजी में पैरामेडिकल कोर्स पास के साथ छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन (अंतिम प्राथमिक सूची प्राथमिकता कम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL ,MH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
4 सपोर्ट स्टॉफ (हॉल्टस कीपिंग सपोर्ट स्टॉफ)	एन.एच.एम	मान्यता प्राप्त संस्थान से 8 वी कक्षा उत्तीर्ण
5 जूनियर सेक्रेटरीयल असिस्टेंट	एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.एच.एम	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL ,HH,OA,OAL,BL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
6 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	एन.एम.एच.पी.	एम.एस.सी. साईकोईट्रिक नर्सिंग अथवा बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साईकोईट्रिक नर्सिंग (नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
7 साइकोलॉजिस्ट - क्लिनिकल	एन.एम.एच.पी.	एम.फिल. साईकोलॉजी, उक्त योग्यता न मिलने की दशा में एम.एस.सी./एम.ए. साईकोलॉजी (रिगुलर) को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL ,OA,LV दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
8 सोशल वर्कर- एन.एम.एच.पी.	एन.एम.एच.पी.	एम.फिल. साईकोईट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जावेगी उक्त योग्यता न मिलने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क (रिगुलर) को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,OA,LV दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
9 सेक्रेटरीयल असिस्टेंट-एन.एम.एच.पी.	एन.एम.एच.पी.	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
10 अटेंडेंट - वार्ड असिस्टेंट	एन.एम.एच.पी.	मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,OA,LV दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
11 डेटल असिस्टेंट	एन.ओ.एच.पी.	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन (10+2) वांछित योग्यता - डेंटल कॉलेज में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव, केवल शासकीय संस्थान का कार्यानुभव की गणना कर अंक दिया जावेगी। मेडिकल कॉलेज से 01 वर्षीय लैब टेक्नीशियन (डेंटल वर्क रिसेटिंग)/हाइजेनिस्ट अथवा डेंटल टेक्नीशियन करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL ,OA,LV दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
12 फार्मासिस्ट	आर.बी.एस.के.	1.बी.फार्मी उत्तीर्ण अथवा 2.डी.फार्मी उत्तीर्ण एवं छ.ग. फार्मसी काउंसिल में जीवित पंजीयन (अंतिम प्राथमिक सूची प्राथमिकता कम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी)
13 टी.बी.एच.डी.	एन.टी.ई.पी.	1. स्नातक अथवा 2. इन्टरमीडियेट (10+2) एवं एम.पी.डब्ल्यू/एल.एच.डी./हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट अथवा हेल्थ एजुकेशन में कोर्स अथवा 3. ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स सरल क्रमांक 1,2 एवं 03 के साथ कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स
14 एस.टी.एस.	एन.टी.ई.पी.	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- 1. स्नातक अथवा सेनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 2 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन 3 दो पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाडी चलाना अना चाहिये Preferential Qualification 1. ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स, शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान सम डिग्री / डिप्लोमा इन सोशल वर्क 2. मल्टी परपज हेल्थ वर्कर कोर्स
15 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर सगवारी 1	एच.डब्ल्यू.सी.	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर इन सोशल वर्क (MSW) उत्तीर्ण
16 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर सगवारी 2	एच.डब्ल्यू.सी.	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA उत्तीर्ण
17 फियर सपोर्टर	एन.वी.एच.सी.पी.	फियर सपोर्टर पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को हेपेटाइटिस बी अथवा हेपेटाइटिस सी से रिकवर होना चाहिये, इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं स्थानीय भाषा के साथ इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है।
18 ए.एन.एम.	एन.यू.एच.एम.	12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एन.एम. कोर्स उत्तीर्ण एवं छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर पंजीयन अनिवार्य है।

Red

Asingh

59

Com

OS

Hand



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
लेबोरेटरी टेक्नीशियन	एन.यू.एच.एम.	1. बी.एम.एल.टी.कोर्स के साथ छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन 2. डी.एम.एल.टी. अथवा पैथालॉजी में पैरामेडिकल कोर्स पास के साथ छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित एवं स्थायी पंजीयन (अंतिम प्रावीण्य सूची प्राथमिकता क्रम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,HH,दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
फार्मासिस्ट	एन.यू.एच.एम.	1. बी फार्मा उत्तीर्ण अथवा 2 डी फार्मा उत्तीर्ण एवं छ.ग. फार्मसी काउंसिल में जीवित पंजीयन (अंतिम प्रावीण्य सूची प्राथमिकता क्रम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी)
नर्सिंग ऑफिसर	एन.यू.एच.एम.	1. बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन 2. जी.एन.एम. कोर्स पास के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन (अंतिम प्रावीण्य सूची प्राथमिकता क्रम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	एन.यू.एच.एम.	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
फिजियोथेरेपिस्ट	एन.यू.एच.एम.	1.मान्यता प्राप्त वि.वि. से स्नातक फिजियोथेरेपी उत्तीर्ण एवं छ.ग. फिजियोथेरेपी काउंसिल में जीवित पंजीयन
सिटी एकाउंटेंट	एन.यू.एच.एम.	1. एम.कॉम (नियमित) (50%) Tally 9.0 की जानकारी अनिवार्य है । अथवा 2. बी.कॉम (नियमित) (50%) Tally 9.0 की जानकारी अनिवार्य है । (अंतिम प्रावीण्य सूची प्राथमिकता क्रम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,HH,OA,OAL,BL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
नर्सिंग ऑफिसर	पन्द्रहवां वित्त आयोग	1. बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन 2. जी.एन.एम. कोर्स पास के साथ छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन (अंतिम प्रावीण्य सूची प्राथमिकता क्रम में उपरोक्त सरल क्रमांक 01 उपरांत 02 अनुसार बनाई जावेगी) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
एम पी.डब्ल्यू	पन्द्रहवां वित्त आयोग	मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वीं पास के साथ 01 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपरपस वर्कर प्रशिक्षण अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रशिक्षण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन अनिवार्य है । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,OA,दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
जूनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट	पन्द्रहवां वित्त आयोग	मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वीं पास के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,HH,OA,OAL,BL दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।
क्लास 4	पन्द्रहवां वित्त आयोग	मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं पास । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ 20-4/2014/आ.प्र./1/3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL,OA,LV दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे ।

आयु सीमा :-

1.संविदा पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी ।

2.आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2023 अनुसार की जावेगी।

संविदा अवधि एवं संविदा नियम :-

1.सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत संविदा मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है।

2.संविदा सेवा अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2024 तक के लिये होगी । जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों/अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन पश्चात कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा निरंतर की जा सकती है।

चयन की प्रक्रिया :-

1. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरान्त दावा - आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची,सूचना एवं अन्य दिशा -निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट durg.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा । इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । अभ्यर्थी को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।

Asingh

96

Law

96

96



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

2. निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में से विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का वर्गवार मेरिट के आधार पर लिखित/कौशल परीक्षा लिया जावेगा:-

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

3. आवेदक के पास दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेख होना अनिवार्य होगा-
- 8 वीं अथवा 10वीं एवं 12 वीं की अंकसूची। (जन्मतिथि सत्यापन के लिये)
 - निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूची।
 - तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र।
 - संबंधित कौंसिल का जीवित/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र। (जिन पदों हेतु लागू हो)
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
 - छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र। (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी)
 - दिव्यांगता प्रमाण/पहचान पत्र (यूडीआईडी) (यदि लागू हो तो)। शारीरिक दिव्यांग आवेदन हेतु मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 - शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अनुभव प्रमाण पत्र - 1. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव का ही मान्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। 2. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ.प्र/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 29.05.2023 अनुसार विशिष्ट जीवित दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति के समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के अनुवर्तन में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा। (OL-One leg, HH- Hearing Divyang, OA-One Arm, OAL-One Arm Leg, BL-Both Leg, LV-Low Vision)
6. अनुभव हेतु अंक-10/15/20 अंक केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा।
7. ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानीन अभ्यर्थियों को मितानीन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंकों का लाभ दिया जायेगा उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2017 तक ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण पाठयक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानीनों के लिए लागू होगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा। तथा गैर मितानीन अभ्यर्थियों के लिए 02 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा। (एनएचएम अन्तर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक अधिकतम 15 अंक)
8. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची :
- अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रं.F1-67/2021/सत्रह -1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07/दिसम्बर/2021 के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है।
- 8.1 कोविड-19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने का नियुक्ति तथा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी/नियुक्तकर्ता द्वारा जारी संलग्न किया गया हो।
- 8.2 चयन प्रक्रिया में वरीयता सूची, वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तियों का प्रतिशत, अनुभव, कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं कोविड-19 बोनस अंक के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगे:-

चयन प्रक्रिया में निर्धारित अंक विवरण (Weightage)

(1) पद संख्या क्रमांक 1, 21 एवं 25 हेतु - (अ) शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत + (ब) कौशल परीक्षा का 20 अंक + (स) अनुभव का अंक (10/15/20) + (द) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10

Dr. Anish 26

26/12/23



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

(2) पद संख्या क्रमांक 18 हेतु - (अ) शैक्षणिक योग्यता का 30 प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का 30 प्रतिशत (ब) कौशल परीक्षा का 20 अंक + (स) अनुभव का अंक(10/15/20) + (द) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10

(3) पद संख्या क्रमांक 26 हेतु - (अ) शैक्षणिक योग्यता का 30 प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का 35 प्रतिशत (ब) कौशल परीक्षा का 20 अंक + (स) अनुभव का अंक(10/15/20) + (द) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10

(4) पद संख्या क्रमांक 2,3,6,7,8,12,13,14,15,16,17,19,20,23, एवं 24 हेतु - (अ) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 65 प्रतिशत + (ब) कौशल परीक्षा का 20 अंक + (स) अनुभव का अंक(10/15) + (द) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10

(5) पद संख्या क्रमांक 4,10,11 एवं 28 हेतु - (अ) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत + (ब) अनुभव का अंक(10/15) + (स) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10

(6) पद संख्या क्रमांक 5,09,22 एवं 27 हेतु - (अ) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 30 प्रतिशत + तकनीकी कम्प्यूटर योग्यता का 35 प्रतिशत + (ब) कौशल परीक्षा का 20 अंक + (स) अनुभव का अंक(10/15) + (द) कोविड -19 बोनस अंक अधिकतम 10 अंक

इस प्रकार (अ)+(ब)+(स)+(द) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति वरीयता सूची अनुशंसित करेगी।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

- संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक /एन.एच.एम. /एच.आर./2022/एन.एस.-1637/3703 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.02.2023 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अतः 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जावेगा।
- आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल /नर्सिंग काउंसिल/फार्मैसी काउंसिल में न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन, ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व तिथि तक का होना अनिवार्य है।
- आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जिन पदों पर प्राप्तांक ग्रेडिंग आधार पर दिये जाते हैं, उन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने शिक्षा संस्थान से सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंको में करवाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण के समय प्राप्तांक एवं पूर्णांक संबंधी अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिया जावेगा।
- मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन-अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जावेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तकर्ता का होगा।
- उक्त सभी पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से न्यूनतम 01 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद / त्यागपत्र/ किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतिक्षा चयन सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों के हेतु 150 प्रतिशत एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
- निर्धारित समय अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति को ही मान्य किया जायेगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया, तिथि एवं निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी भी दावा/आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति में केवल टंकण त्रुटी सुधार किया जावेगा, नवीन दस्तावेज (अतिरिक्त/पूरक) मान्य/स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना अंतिम मेरीट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है, अथवा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा, जिसके संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

Asingh

99



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)



Tele-0788-2210301,2210773

email-cmodurg@yahoo.com

12. सभी संविदा पद अस्थानांतरणीय है। नियुक्ति आदेशानुसार निर्धारित अवधि में पद स्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
13. अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधित लिखित/कौशल परीक्षा व अन्य जानकारी दुर्ग जिले की वेबसाईट durg.gov.in में समय समय पर उपलब्ध कराया जावेगा। अन्य किसी माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्रेषित नहीं की जायेगी, इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा।
14. अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है एवं पात्र उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित किया जा सकता है।
15. एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
16. आवश्यकतानुसार चयन समिति के निर्णय अनुसार अन्य निर्देश व शर्त लागू की जा सकती है।
17. उक्त विज्ञापन के तहत की जाने वाली समस्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
18. ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश :-
 - ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दुर्ग जिले की विभागीय वेबसाईट durg.gov.in में जाकर आवेदन करें।
 - अभ्यर्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-ईन करें।
 - आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें।
 - आवेदन करने के पश्चात् **Submit** कर आवेदन का प्रिंट निकालकर उसमें आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जावेगा।
 - हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना होगा। आवेदक को समस्त दस्तावेज (शैक्षणिक, जाति, निवास, पंजीयन, दिव्यांगता) वर्तमान समय में अपलोड नहीं करना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।
 - ऑनलाईन भरे हुये आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण के समय समानता नहीं पाये जाने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी अथवा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता/सावधानी बरतें।
19. ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रविष्ट की गयी जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनायी जावेगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
20. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर निर्णय का अंतिम सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। जो सर्वमान्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)